



## खाता खोलने का फार्म (गैर-व्यक्तिक ग्राहक)

## खाता खोलने का फार्म (गैर-व्यक्तिक ग्राहक)

## कार्यालय उपयोग हेतु

आवेदन का प्रकार \*:  नया  अद्यतन करना है

तिथि: दि दि मा मा व व व व

ग्राहक सीआईएफ नंबर शाखा कोड खाता नंबर स्कीम कोड सीकेवाईसी नंबर (केवाईसी करने के लिए अनिवार्य) खाता धारक का प्रकार:  यूएस रिपोर्टेंट्स  अन्य रिपोर्टेंट्स (कृपया सामान्य अनुदेशों के पृष्ठ 14 की मद 'क' देखें) मेरा/हमारा बैंक ऑफ बडौदा में कोई खाता नहीं है या मेरा/हमारा बैंक ऑफ बडौदा में खाता है जिसकी खाता संख्या  है।

## 1. इकाई विवरण (कृपया सामान्य दिशानिर्देश की मद 'ग' देखें)

1. इकाई का नाम \*   
(स्पष्ट अक्षरों में)

कारोबार शुरू करने की तिथि \*: 

(सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के लिए लागू)

निगमन/गठन की तिथि \*: पैन \*:  या फर्म 60  (कंपनियों तथा भागीदारियों को छोड़कर)

निगमन/गठन का स्थान \*: \_\_\_\_\_

(केवल भारत में कर भरनेवाली इकाइयों के लिए पैन ही टीआईएन है)

जीएसटीएन :  पहचान का प्रकार\*  (कृपया सामान्य अनुदेश का मद 'ग' देखें) यदि अन्य आय है तो उल्लेख करें \_\_\_\_\_इकाई की संरचना \*:  (कृपया सामान्य अनुदेशों का अनुदेश 'ख' देखें)टैन सीआईएन  (केवल कंपनी के मामले में लागू) आई. ई. सी. सं.....

## 2. पहचान का प्रमाण\* (कृपया सामान्य अनुदेशों का अनुदेश 'घ' देखें)

 निगमन/गठन का प्रमाणपत्र पते का प्रमाण प्रबंधक / अधिकारी को दिया गया गतिविधि का प्रमाण 1 (केवल एकल स्वामित्व इकाई के लिए) खाता परिचालन के लिए प्राधिकृत व्यक्ति की पहचान का प्रमाणस्वरूप  
स्वीकार्य दस्तावेज पंजीकरण प्रमाणपत्र गतिविधि का प्रमाण 2 (केवल एकल स्वामित्व इकाई के लिए) संस्था के बहिर्नियम एवं अंतर्नियम/भागीदारी विलेख/न्यास विलेख बोर्ड/प्रबंध समिति का संकल्प अन्य \_\_\_\_\_

## 3. संबंधित व्यक्ति/ लाभार्थी मालिक का विवरण\*

(हर संबंधित व्यक्ति के लिए अलग-अलग 'अनुलग्रक 2' भरना है, सामान्य अनुदेशों की मद 'छ' देखें)

संबंधित व्यक्तियों की संख्या\*: 

(संबंधित व्यक्ति से आशय निवेशक, प्रमोटर, कर्ता, ट्रस्टी, भागीदार, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, लाभार्थी मालिक, लाभार्थी न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी से है )

लाभार्थी मालिकों की संख्या \*: 

(यद्यपि लाभार्थी मालिक संबंधित व्यक्ति है, संबंधित व्यक्तियों में से लाभार्थी मालिकों की संख्या संबंधित व्यक्तियों में से अलग रूप से तय की जाएगी लाभार्थी मालिक संबंधित व्यक्ति का अंश/उपअंश है ) (परिभाषा के लिए पृष्ठ 17 देखें )

## 4. पते का प्रमाण\* (आधिकारिक तौर पर मान्य दस्तावेज की प्रति, जहां भी लागू है, प्रस्तुत करें) (कृपया अंत में दिए गए अनुदेश ड देखें)

## 4.1 वर्तमान/स्थायी/विदेश पता विवरण\*

 भारत में पंजीकृत कार्यालय (यदि लागू है)/ कारोबार स्थान का पता\*पता का प्रकार\*:  आवासीय/ कारोबार  आवासीय  कारोबार  पंजीकृत कार्यालय  गैर-सूचितपता का प्रमाण \*:  निगमन/ गठन का प्रमाणपत्र  पंजीकरण प्रमाणपत्र अन्य दस्तावेज़ (कृ. उल्लेख करें) \_\_\_\_\_लाइन\*1: लाइन 2: लाइन 3:  शहर / नगर / गांव \*: जिला\*:  पिन / पोस्ट कोड\*: राज्य/यूटी कोड\*: देश कोड\*: 

(आईएसओ 3166)

## 4.2 पत्र व्यवहार/स्थानीय पता का विवरण\*

 वर्तमान/स्थायी पते के अनुसार (एक से अधिक संपर्क/स्थानीय पते होने के मामले में, कृपया 'अनुलग्रक III' भरें)पते का प्रकार\*  आवासीय/कारोबार  आवासीय  कारोबार  पंजीकृत कार्यालय  गैर -सूचितपते का प्रमाण \*:  निगमन/गठन प्रमाणपत्र  पंजीकरण का प्रमाणपत्र अन्य दस्तावेज़ (कृ. उल्लेख करें).....लाइन\*1: लाइन 2: लाइन 3:  शहर / नगर / गांव \*: जिला\*:  पिन/पोस्ट कोड\*: राज्य/यूटी कोड\*: देश कोड (आईएसओ 3166)\*

4.3 यदि इकाई भारत की बाहर का निवासी है और वहां पर ही कर देती है तो उस अधिकार क्षेत्र में उसका पता\*

<input type="checkbox"/> वर्तमान/स्थायी/विदेश पते के विवरण के अनुसार	<input type="checkbox"/> पत्राचार/स्थानीय पते के विवरण के अनुसार	
पते का प्रकार * <input type="checkbox"/> आवासीय / कारोबार <input type="checkbox"/> आवासीय	<input type="checkbox"/> कारोबार <input type="checkbox"/> पंजीकृत कार्यालय	<input type="checkbox"/> गैर-सूचित
पते का प्रमाण (भारत के बाहर पंजीकृत इकाईयों के लिए *: <input type="checkbox"/> पंजीकरण प्रमाणपत्र या ऐसा ही अन्य प्रमाणपत्र	<input type="checkbox"/> निगमन / गठन का प्रमाणपत्र	
लाईन*1: <input type="text"/>		
लाईन 2: <input type="text"/>		
लाईन 3: <input type="text"/>		शहर /नगर / गांव* <input type="text"/>
राज्य*: <input type="text"/>	जिप/पोस्ट कोड* <input type="text"/>	देश कोड *: <input type="text"/> आईएसओ 3166)

#### 5. संपर्क विवरण ( सभी सूचनाएं मोबाइल नंबर/ई-मेल आईडी पर भेजी जाएँगी ) ( कृपया अंत में दिए गए अनुदेश 'च' देखें )

टेलिफोन : <input type="text"/>	<input type="text"/>	टेलिफोन (निवास): <input type="text"/>	<input type="text"/>
(कार्यालय) : <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
फैक्स :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
मोबाइल :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ई-मेल आई डी :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

#### 6. कारोबार का प्रकार

<input type="checkbox"/> निर्माता	<input type="checkbox"/> व्यापारी	<input type="checkbox"/> खुदरा विक्रेता	<input type="checkbox"/> सेवा प्रदाता	<input type="checkbox"/> नियात / आयात	<input type="checkbox"/> अन्य _____
उद्योग कोड*: <input type="text"/>	(कृपया उद्योग कोड के लिए पृष्ठ 6 देखें )			अन्य _____	

#### एमएलएम वचनपत्र :

- 'मैं/हम घोषित करता हूँ/करते हैं कि मेरी/हमारी कंपनी/फर्म एमएलएम (बहुस्तरीय मार्केटिंग) कंपनी/फर्म नहीं है' अथवा  
 'मैं/हम घोषित करता हूँ/करते हैं कि मेरी/हमारी कंपनी/फर्म एमएलएम (बहुस्तरीय मार्केटिंग) कंपनी/फर्म है तथा कंपनी बहुस्तरीय मार्केटिंग का कारोबार करती है तथा कंपनी ने उपभोक्ता मामलों के विभाग को यह वचनपत्र दिया है कि कंपनी उपभोक्ता मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए, प्रत्यक्ष विक्रय दिशानिर्देशों 2016 तथा जहाँ कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, उस राज्य के द्वारा प्रत्यक्ष विक्री हेतु किसी भी प्रकार के दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है। इसके अलावा कंपनी ने किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया है तथा यह भी वचन देती है कि कंपनी इनामी चिट और धन परिचालन (पाबंदी) योजना 1978 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगी।' कृपया एमएलएम कंपनी/फर्म के औद्योगिकी कोड पर निशान (✓) लगाएँ।

#### वार्षिक कुल टर्नओवर

<input type="checkbox"/> 0-5 लाख	<input type="checkbox"/> 5-10 लाख	<input type="checkbox"/> 10-25 लाख	<input type="checkbox"/> 25 लाख-1करोड़	<input type="checkbox"/> 1-5 करोड़	<input type="checkbox"/> 5-50 करोड़	<input type="checkbox"/> 50-100 करोड़	<input type="checkbox"/> 100 करोड़ से अधिक
बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ लेनदेन (वर्ष) _____	स्थान _____	शाखा _____					
खाते का प्रकार _____	(ऋण सुविधाएं) (बैंक ऑफ बड़ौदा) (यदि कोई हों)						

#### 7. खाते का प्रकार

<input type="checkbox"/> चालू खाता	<input type="checkbox"/> बचत बैंक खाता	<input type="checkbox"/> आवर्ती जमा खाता	<input type="checkbox"/> सावधि जमा	<input type="checkbox"/> विशेष सावधि जमा
अन्य _____	अन्य कृपया उल्लेख करें _____			

#### 8. परिचालन विधि

<input type="checkbox"/> अकेले	<input type="checkbox"/> संयुक्त रूप से	<input type="checkbox"/> अलग-अलग	<input type="checkbox"/> बोर्ड के संकल्प के अनुसार	<input type="checkbox"/> अन्य (कृपया उल्लेख करें) _____
--------------------------------	---	----------------------------------	--	---

#### 9. अपेक्षित सेवाएं ( अपेक्षित सेवा पर (✓) लगाएं ( सेवा प्रभार लागू )

कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग : <input type="checkbox"/> देखने का अधिकार <input type="checkbox"/>	लेन-देन करने करने का अधिकार <input type="checkbox"/>	चेक बुक <input type="checkbox"/>		
पीओएस की सुविधा (कार्ड स्वाइप करने की मशीन) <input type="checkbox"/>	एसएमएस अलर्ट <input type="checkbox"/>	कैश पिक-अप सुविधा <input type="checkbox"/>		
बीसीएमएस <input type="checkbox"/>	डेबिट कार्ड <input type="checkbox"/>	अन्य _____ <input type="checkbox"/>		
स्टेटमेंट की अवधि <input type="checkbox"/>	मासिक <input type="checkbox"/>	तिमाही <input type="checkbox"/>	अर्ध-वार्षिक <input type="checkbox"/>	वार्षिक <input type="checkbox"/>
ई-स्टेटमेंट भेजने के लिए ई-मेल आईडी <input type="text"/>				
एसएमएस भेजने के लिए मोबाइल <input type="checkbox"/>				

#### 10. खाता प्रकार : ( शाखा के द्वारा भरा जाएगा )

खाता प्रकार नाम : \_\_\_\_\_

(कृपया हमारी बेबसाइट देखें या हमारी निकट की शाखा में जाएँ)

ग्राहक सुरक्षा नीति पर भारतीय रिझर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार- आपके खाते में किसी भी अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन के मामले में ग्राहकों की सीमित देयता हेतु कृपया हमारे बैंक की कॉर्पोरेट बेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध बैंक की ग्राहक सुरक्षा नीति का संदर्भ ग्रहण करें. <https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/policies-codes>

## अन्य संस्था का विवरण :

सुनिश्चित करें कि वह संस्था वित्तीय संस्था है या गैर-वित्तीय संस्था है (संस्था या तो वित्तीय संस्था हो सकती है या गैर-वित्तीय संस्था, दोनों नहीं)

**वित्तीय संस्था (एफआई)** : (वित्तीय संस्था के सामने (✓) लगाने पर कृपया सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए **अनुलग्नक I** और **अनुलग्नक II** भरें)

(बैंकों, बीमा एजेंसियां, एनबीएफसी आदि) या

गैर-वित्तीय संस्था (एनएफई) : यदि संस्था एनएफई है तो क्या वह  सक्रिय एनएफई या  निष्क्रिय एनएफई

(संस्था या तो सक्रिय एनएफई या निष्क्रिय एनएफई हो सकती है, दोनों नहीं, कृपया सक्रिय या निष्क्रिय एनएफई के संबंध में सामान्य दिशानिर्देश 'ज' देखें)

नियंत्रक व्यक्तियों की संख्या  (केवल निष्क्रिय एनएफई के मामले में लागू, प्रत्येक नियंत्रक व्यक्ति के लिए **अनुलग्नक II** भरें)

प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग करनेवाली गैर-वित्तीय विदेशी संस्था : हाँ  नहीं

यदि हाँ तो कृपया प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग करनेवाली एनएफएफ का  जीआईआईएन दर्शाइए :

विधिक इकाई पहचानकर्ता (एलईआई कोड क्र.)

(जहां पर लागू है)

## कर के नियमों के अनुसार आवास का देश \*

केवल भारत में कर भरने वाली इकाई न कि भारत के बाहर किसी अन्य देश का निवासी  
(हाँ पर (✓) निशान लगाने पर नीचे देख गए बाक्स को न भरें)

हाँ  नहीं

फटका एवं सी.आर.एस. बॉक्स

यू एस का टैक्स रेसिडेंट हाँ  नहीं  (यदि हाँ है तो टीआईएन भरें) यूएस टिन :

यदि यूएस का टैक्स रेसिडेंट है तो, क्या वह व्यक्ति

यूएस व्यक्ति है  नहीं  (यू एस के टैक्स व्यक्ति के लिए अनुदेश ज देखें)

विनिर्दिष्ट यूएस व्यक्ति (अनुदेश 'त' देखें) हाँ  नहीं  (यदि विनिर्दिष्ट यूएस व्यक्ति का उत्तर हाँ है तो संस्था की यूएस रिपोर्टिंग की जाएगी)

यूएस के अलावा भारत के बाहर का कर निवासी हाँ  नहीं

यदि हाँ हैं तो, देश का कोड भरें  और टीआईएन / वैसी ही सक्रिय संख्या समतुल्य पहचान नंबर भरें

यदि यूएस के अलावा भारत के बाहर का कर निवासी हाँ है तो क्या संस्था निम्नलिखित में से किसी एक श्रेणी के तहत आती है (निम्नलिखित श्रेणी में से यथा लागू श्रेणी पर टिक करें – यदि निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी पर हाँ टिक नहीं किया जाता है तो 'खाता एक अन्य रिपोर्ट योग्य खाता' है)

1. कोई निगम जिसके स्टॉक की खरीद फोरेक्ट व्यापार एक या अधिक सुस्थापित सिव्यूरिटीज बाजार में होती है हाँ  नहीं
2. कोई निगम जो उक्त (1) में उल्लिखित निगम से संबंधित इकाई है हाँ  नहीं
3. सरकारी संस्था हाँ  नहीं
4. कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन हाँ  नहीं
5. कंड्रीय बैंक हाँ  नहीं
6. वित्तीय संस्था हाँ  नहीं

कर उद्देश्य के लिए कोई निवास नहीं। हाँ  नहीं

यदि हाँ हो तो कृपया उस देश का कोड भरें जहां पर संस्था का प्रधान कार्यालय स्थित है

देश कोड

बहुदेशीय कर आवास\* हाँ  नहीं  (यदि हाँ है तो नीचे का टेबल भरें)

1. यदि संस्था विनिर्दिष्ट व्यक्ति है तथा यूएस के अलावा भारत के बाहर का कर निवासी भी है, तो उसे बहुदेशीय कर निवासी संस्था माना जाएगा ।

2. यदि संस्था विनिर्दिष्ट यूएस व्यक्ति नहीं है पर भारत से बाहर एक से अधिक देशों की कर निवासी है, तो उसे बहुदेशीय कर निवासी संस्था माना जाएगा ।

यूएस के अलावा भारत के बाहर की कर निवासी	टीआईएन या वैसा कोई नंबर (प्राधिकारी द्वारा जारी)	पहचान का प्रकार (टीआईएन, कंपनी पहचान नंबर (सीआईएन), ईआईएन या अन्य कोई, कृपया उल्लेख करें)

## पता\*

लाइन 1:

शहर :

लाइन 2:

राज्य :

लाइन 3:

पिन :

यूएस के अलावा भारत के बाहर की कर निवासी	टीआईएन सं. या इसके समान कोई नंबर (क्षेत्राधिकारी द्वारा जारी)	पहचान का प्रकार (टीआईएन कंपनी पहचान नंबर (सीआईएन), ईआईएन या अन्य कोई, कृपया उल्लेख करें)

## पता\*

लाइन 1:

शहर :

लाइन 2:

राज्य :

लाइन 3:

पिन :

नाम  (पहचान प्रमाण के अनुसार)

यदि पैन के लिए आवेदन किया हुआ है और जारी नहीं किया गया है  तो आवेदन की तिथि तथा पात्री नंबर   
यदि पैन के लिए आवेदन नहीं किया है तो उस वित्त वर्ष जिसमें उपर्युक्त लेन-देन किया गया है, की अनुमानित कुल आय भरें (पति/पत्नी, अवयस्क बच्चे आदि की आय सहित) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 64 के अनुसार)

कृषि आय  कृषि के अलावा अन्य आय

#### सत्यापन

मैं \_\_\_\_\_ एतदद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर जो भी लिखा गया है, वह मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि जिस वित्तीय वर्ष में यह लेन-देन किया गया है, उसमें मेरी/हमारी अनुमानित कुल आय (पति/पत्नी, अवयस्क बच्चे आदि को शामिल करके) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 64 के अनुसार परिकलित कर योग्य अधिकतम राशि से कम ही होगी।

सत्यापितः दिन ..... दिनांक ..... 20.....

स्थान : .....

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

नामांकन : केवल एकल स्वामी खाता हेतु

मैं अपने/हमारे खाते में नामांकन करना चाहता/चाहती हूँ

मैं अपने/हमारे खाते में नामांकन नहीं करना चाहता/चाहती हूँ

व्यक्तिगत के अलावा अन्य के पक्ष में किया गया नामांकन अमान्य है

नामांकन फार्म ( डीए१ )

बैंक जमाराशियों के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45 जेड और बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियमावली 1985 के नियम 2(1) के अंतर्गत नामांकन मैं/हम \_\_\_\_\_ व्यक्ति को नामित करता/करती हूँ / करते हैं, जिसे मेरी/हमारी/अवयस्क की मृत्यु होने पर जमाराशि जिसके विवरण नीचे प्रस्तुत किए गए हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा वापस कर दी जाए। (उस शाखा/कार्यालय का नाम व पता जहां जमाराशि रखी गई है)

नामांकन क्रम संख्या

जमाराशि का विवरण :

जमाराशि का प्रकार \_\_\_\_\_ खाता नंबर :

नॉमिनी का विवरण

नाम

जमाकर्ता के साथ रिश्ता \_\_\_\_\_ आयु  नॉमिनी की जन्मतिथि

पता

शहर:  पिन  राज्य

देश :  नॉमिनी का सीआईएफ नंबर

चूंकि इस तिथि को नॉमिनी अवयस्क, है इसलिए मैं/हम श्री/श्रीमती/सुश्री \_\_\_\_\_ आयु, \_\_\_\_\_ वर्ष

पता \_\_\_\_\_

को नॉमिनी की अवयस्कता के दौरान मेरी/हमारी/अवयस्क की मृत्यु होने पर नॉमिनी की ओर से जमा की राशि प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं।

नामांकित व्यक्ति का भोवाइल नंबर:

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

साक्षी का निजी विवरण (यदि आवेदक निरक्षर है और अंगूठे का निशान लगा रहा है, तो साक्षी की आवश्यकता है)

साक्षी 1 नाम : \_\_\_\_\_

साक्षी 2 नाम : \_\_\_\_\_

पता : \_\_\_\_\_

पता : \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

स्थान: \_\_\_\_\_ दिनांक : \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

स्थान: \_\_\_\_\_ दिनांक : \_\_\_\_\_

## आवेदक की घोषणा :

- मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं और इसमें परिवर्तन होने पर मैं आपको सूचित करने का वचन देता/देती हूँ। यदि कोई जानकारी गलत या छूटी या भावाक या अवश्यक प्रत्युत की जाती है तो मैं/हम उसके लिए जिम्मेदार रहूँगा/होंगे।
- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नियमों/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम इकाई की ओर से हस्ताक्षर करने की क्षमता रखता हूँ/रखते हैं।
- मैं/हम प्रमाणित करता/करती हूँ/करते हैं कि कंपनी नियम 2017 के उप-नियम (2) में उल्लिखित कंपनियों की श्रेणी में श्रेणियों की संख्या पर प्रतिवध शामिल है और इसकी (कंपनी की) दो श्रेणियों से अधिक अनुषंगियाँ नहीं हैं। | (कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 21 सितंबर 2017 के राजपत्र की अधिसूचना क्र. 793 में दिए गए विवरणों के अनुसार)।
- मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि मैं/हमने बैंक ऑफ बड़ौदा के तथा बैंक द्वारा दी जानेवाली सेवाओं, जिसमें डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/एसएमएस बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग/वर्चुअल बैंकिंग तथा अन्य सुविधाएं शामिल हैं, से संबंधित नियमों एवं नियमों को पढ़ लिया है। मैं/हम उनका अनुपालन करने के लिए सहमति देता हूँ/देते हैं, जो बैंक/विनियामक/सरकार द्वारा परिषक्त, अधिसूचनाओं, सूचना फलक/वेबसाइट/समाचार-पत्र प्रकाशन के जैए समय-समय पर संशोधित की जाएगी। ऐसे संशोधनों के संबंध में व्यक्तिगत सूचना देने के अधिकार को मैं/हम परित्याग करता हूँ/करते हैं। मेरे/हमारे खाते में मेरे/प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा इंटरनेट, मोबाइल, टेली बैंकिंग वा वर्चुअल बैंकिंग के माध्यम से मेरे/हमारो यूजर आइडी तथा पासवर्ड/पिन/ओटीपी द्वारा किए गए लेन-देन या अनुरोध मुझे/हम पर विधिक रूप से बधय होंगे और ऐसे मामलों में प्राधिकृत करने के विवरण तथा किसी अन्य जानकारी/विवरण/ओटीपी/पिन आदि की गोपनीयता तथा विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए मैं/हम जिम्मेदार हूँ/होंगे। मैं/हम सहमत हूँ/होंगे कि कोई सेवा शुल्क, व्यय या अन्य देव राशि जिस पर बैंक का हक है/या जिसकी वसूली मुझसे की जानी है, के लिए मेरे/हमारे खाते को नामे करने का अधिकार बैंक को है। किसी नियम/विनियामक वा खाते के परिचालन संबंधी शर्तों के विचलन/पालन न करने पर, बिना सूचना के मेरे खाते के समाज करने/उसे जारी न रखने के लिए मैं/हम बैंक को प्रश्निकृत करता हूँ/करते हैं। मेरे प्रताचार के पास या संग्रहन में कोई परिवर्तन/संशोधन होने पर, मैं/हम बैंक को उसकी सूचना देने के लिए वचन देता हूँ/देते हैं और एक शाखा से दूसरी शाखा में खाते का अंतरण करने पर मैं/हम पते की प्राप्ति द्वांग/दंगे।
- आपका विवरण के अनुसार खोले गए खाते के संबंध में, मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि पीएमएलए 2002 के तहत केंद्रीयी मानदंडों के अनुपालन मैंने परवान तथा/या पते के प्राप्ति के तौर पर यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड प्रत्युत किया है। बैंक द्वारा यूआईडीएआई से उसका सत्यापन करने तथा बायोमेट्रिक अधिमानण द्वारा मेरी पहचान और पते की सूचना बैंक को देने के लिए मैं/हम बैंक को उपलब्ध करता/करती हूँ।
- मैं/हम पुष्टि एवं घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि किसी भी प्रचलित विधि का/विनियामक/संविदात्मक या अन्य से खाता खोलने तथा/या उसके परिचालन बैंक के साथ लेन-देन करने के लिए मैं/हम सुझे/हमें रोका/प्रतिवधित नहीं किया गया है।
- मेरे/हमारे व्यक्तिगत केवर्डीसी विवरण को केंद्रीय केवर्डीसी रजिस्ट्री या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के साथ साझा करने हेतु मैं/हम सहमति देता/देती हूँ/देते हैं। मेरे/हमारे पंजीकृत मोबाइल नंबर-ई-मेल पते पर एसएमएस/ई-मेल से बैंक/केंद्रीय केवर्डीसी रजिस्ट्री/भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी अन्य प्राधिकारी से सूचना प्राप्त करने के लिए मैं/हम सहमति देता हूँ/देते हैं। मैं/हम इसके लिए भी सहमत हूँ/होंगे कि किसी ऐसे एसएमएस/ई-मेल के न मिलने के कारण बैंक किसी भी प्रकार की हानि या नुकसान के लिए मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ।
- मैं/हम यह समझता/समझती हूँ/समझते हैं, स्वीकार करता/करती हूँ/करते हैं कि आयकर अधिनियम उसके तहत बनाए गए नियमों एवं सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस विषय में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निवासीय स्थिति और/या दर्शाए गए अन्य मानदंडों के आधार पर, बैंक द्वारा मेरे/हमारे खाते (खातों) से

कृपया
यहाँ फोटो
चिपकाएँ

कृपया
यहाँ फोटो
चिपकाएँ

कृपया
यहाँ फोटो
चिपकाएँ

परिचालनगत निर्देश

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 1 के हस्ताक्षर (क्रम का ध्यान रखें)

नाम :
पद :
दिनांक :
नाम, हस्ताक्षर, मुहर और सत्यापन करने वाले अधिकारी का एस.एस. क्र.

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 2 के हस्ताक्षर (क्रम का ध्यान रखें)

नाम :
पद :
दिनांक :
नाम, हस्ताक्षर, मुहर और सत्यापन करने वाले अधिकारी का एस.एस. क्र.

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 3 के हस्ताक्षर (क्रम का ध्यान रखें)

नाम :
पद :
दिनांक :
नाम, हस्ताक्षर, मुहर और सत्यापन करने वाले अधिकारी का एस.एस. क्र.



हम, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की 7 अगस्त 2015 की अधिसूचना क्र. एस ओ. 2155 (ई) तथा भारतीय रिजर्व बैंक के 28 अगस्त 2015 के परिपत्र डी बी आर. ए एम एल. बी.सी क्र. 36/14.01.001/2015-16 द्वारा सूचित आयकर नियम 1962 के नियम 114 च से 114 ज के अंतर्गत अपनी संस्था की स्थिति नियमानुसार घोषित और प्रमाणित करते हैं :-

	वित्तीय संस्था की स्थिति को टिक करें	हाँ	नहीं
	इकाई का नाम		
1. क)	डिपोजिटरी संस्था		
ख)	संरक्षक संस्थान		
ग)	निवेश इकाई जो निष्क्रिय एनईएफ नहीं है		
घ)	निर्दिष्ट बीमा कंपनी		
2.	मालिक-आधारभूत यूएस मालिक के साथ प्रतेखित वित्तीय संस्था (अनुलग्नक - II के अनुसार आधारभूत यूएस मालिक का विवरण लेना है)		
3.	वित्तीय रिपोर्टिंग संस्था		
4.	यदि उपरोक्त 2 और 3 हाँ हैं तो कृपया वैश्विक मध्यस्थ पहचान नंबर (जीआईआईएन)		
5.	गैर प्रतिभागिता वित्तीय संस्था		
6.	गैर रिपोर्टिंग वित्तीय इकाई (यदि हाँ, तो नीचे तालिका में किसी एक श्रेणी में टिक करें)		
क्र.सं	एनआरएफआई की श्रेणी	क्र.स एनआरएफआई की श्रेणी	
1.	सरकारी इकाई :	13	भविष्य निधि
2.	अंतरराष्ट्रीय संगठन :	14	एक भारतीय निवेश इकाई जो पूरी तरह से एनआरएफआई द्वारा उपर्युक्त (i) से (xiii) में उल्लिखित है और जो किसी भी ऋण व्याज को किसी एक डिपोजिटरी संस्था या उपर्युक्त एनआरएफआई द्वारा उपर्युक्त (i) से (xiii) में उल्लिखित है
3.	केंद्रीय बैंक :	15	योग्य क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता :
4.	ट्रीटी क्वालिफाइड रिटायरमेंट फंड :	16	सीटीवीटी नियमों के अनुसार निर्दिष्ट निवेश इकाई (नियम 11 4 एफ (5) (एफ):
5.	नैरो पार्टिसिपेशन रिटायरमेंट फंड :	17	छूटप्राप्त सामूहिक निवेश वाहन
6.	ब्रॉड पार्टिसिपेशन रिटायरमेंट फंड :	18	ट्रस्टी - डाकुमेंटेड इंडियन ट्रस्ट
7.	किसी सरकारी इकाई की पेन्शन निधि :	19	स्थानीय ग्राहक आधारित वित्तीय संस्थान
8.	अंतरराष्ट्रीय संगठन की पेन्शन निधि :	20	स्थानीय बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहरी सहकारी बैंक, (राज्यसहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, स्थानीय क्षेत्र के बैंक सहित) बशर्ते कि संपत्ति नियम 114 एफ (5) के स्पष्टीकरण (ओ) के के द्वारे में आती हों
9.	किसी सेंट्रल बैंक की पेन्शन निधि :	21	केवल कम मूल्य खाते वाली वित्तीय संस्था
10.	सशस्त्र बलों की गैर सार्वजनिक निधि :	22	प्रायोजित निवेश इकाई और नियंत्रित विदेशी कॉरपोरेशन (रिपोर्टिंग योग्य यूएस खाते के संबंध में)
11.	कर्मचारी राज्य बीमा निधि :	23	प्रायोजित सीमित धारिता वाली निवेश वाहन (रिपोर्टिंग योग्य यूएस खाते के संबंध में)
12.	ग्रेचुर्टी निधि :	24	एक भारतीय निवेश इकाई जो पूरी तरह से एनआरएफआई द्वारा उपर्युक्त (i) से (xiii) में उल्लिखित है और जो किसी भी ऋण व्याज को एक डिपोजिटरी संस्था या एनआरएफआई द्वारा उपर्युक्त (i) से (xiii) में उल्लिखित है ।

7.	प्रायोजित निवेश इकाई	
ए)	प्रायोजित इकाई का जीआईआईएन	
बी)	इकाई का नाम	

हम प्रमाणित करते हैं कि सीबीडीटी नियमों/आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार हम वित्तीय संस्था की ओर से हस्ताक्षर करने के पात्र हैं ।

दिनांक :

स्थान : \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर  
इकाई के प्राधिकृत व्यक्ति का नाम

(प्रत्येक नियंत्रक व्यक्ति/संबंधित व्यक्ति/लाभार्थी मालिक के लिए अलग फार्म भरा जाए)

आवेदन का प्रकार*	<input type="checkbox"/> नया	<input type="checkbox"/> अद्यतन करना है	केवल कार्यालयीन उपयोग के लिए
आवेदक (सीपी/आरपी) का सीआईएफ नंबर	<input type="text"/>		
सीपी/आरपी/खाता सं.	<input type="text"/>		
संस्था का नाम	<input type="text"/>		

नाम एवं कोड नंबर वाला रबड स्टांप शाखा द्वारा लगाया जाना चाहिए

नियंत्रक व्यक्ति/संबंधित व्यक्ति/लाभार्थी मालिक का फोटो

1. नियंत्रक व्यक्ति/संबंधित व्यक्ति/लाभार्थी मालिक का विवरण  
( कृपया सामान्य अनुदेश देखें ):

## 1.क नियंत्रक व्यक्ति के विवरण ( निष्क्रिय एनएफई के लिए ):

<input type="checkbox"/> नियंत्रक व्यक्ति को जोड़ना	<input type="checkbox"/> नियंत्रक व्यक्ति को हटाना	<input type="checkbox"/> नियंत्रक व्यक्ति के विवरण अद्यतन करना	
सीकेवाईसी क्रमांक (यदि उपलब्ध हो तो*)	<input type="text"/>		
नियंत्रण का प्रकार* :	(सीकेवाईसी क्रमांक उपलब्ध होने पर केवल 'नियंत्रक प्रकार' एवं 'नाम' अनिवार्य)		
विधिक व्यक्ति के मामले में	<input type="checkbox"/> स्वामित्व	<input type="checkbox"/> अन्य प्रकार	<input type="checkbox"/> वरिष्ठ पदधारी
न्यास के मामले में	<input type="checkbox"/> व्यवस्थापनकर्ता	<input type="checkbox"/> न्यासी	<input type="checkbox"/> संरक्षक
अन्य कानूनी व्यवस्था के मामले में :	<input type="checkbox"/> सेटलर के समान	<input type="checkbox"/> न्यासी के समान	<input type="checkbox"/> संरक्षक के समान
अपरिचित के मामले में	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> लाभार्थी
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> अन्य
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> अन्य के समान

## 1.ख संबंधित व्यक्ति के विवरण

<input type="checkbox"/> नियंत्रक व्यक्ति को जोड़ना	<input type="checkbox"/> नियंत्रक व्यक्ति को हटाना	<input type="checkbox"/> नियंत्रक व्यक्ति के विवरण अद्यतन करना					
संबंधित व्यक्ति का सीकेवाईसी क्रमांक (यदि उपलब्ध हो*)	<input type="text"/>						
संबंधित व्यक्ति का प्रकार* (लागू होने पर एक से अधिक बॉक्स पर टिक किया जा सकता है)	<input type="checkbox"/> निदेशक	<input type="checkbox"/> प्रवर्तक	<input type="checkbox"/> कर्ता	<input type="checkbox"/> न्यासी	<input type="checkbox"/> भागीदार	<input type="checkbox"/> प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता	<input type="checkbox"/> प्रोपराइटर
	<input type="checkbox"/> न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी	<input type="checkbox"/> लाभार्थी	<input type="checkbox"/> लाभार्थी मालिक	<input type="checkbox"/> अन्य	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> मुख्यारनामा धारक	
	(पृष्ठ क्र 17 की परिभाषा देखें)						

## 2. वैयक्तिक विवरण\* ( कृपया अंत में अनुदेश छ.॥ देखें )

प्रिफिक्स	पहला नाम	बीच का नाम	अंतिम नाम
नाम (पहचान पत्र प्रमाण के समान)*	<input type="text"/>		
आरंभिक नाम (यदि कोई हो तो*)	<input type="text"/>		
पिता का नाम	<input type="text"/>		
माँ/पति-पत्नी का नाम	<input type="text"/>		
माता/पिता/पति-पत्नी के नाम में से कोई एक अनिवार्य है,	<input type="text"/>		
यूआईडी/आधार संख्या	<input type="text"/>	अथवा आधार नामांकन संख्या	<input type="text"/>
डीआई एन (डाइरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर) :	<input type="text"/>	(संबंधित व्यक्ति के निदेशक होने पर अनिवार्य)	

जन्म तिथि *:	<input type="text"/> दि <input type="text"/> दि <input type="text"/> मा <input type="text"/> मा <input type="text"/> व <input type="text"/> व <input type="text"/> व <input type="text"/>						
लिंग *:	<input type="checkbox"/> एम-पुरुष	<input type="checkbox"/> एफ-महिला	<input type="checkbox"/> टी-ट्रांसजेंडर	राष्ट्रीयता: <input type="checkbox"/> आईएन भारतीय	<input type="checkbox"/> अन्य (कृपया उल्लेख करें)	<input type="checkbox"/>	देश कोड <input type="text"/> (आईएसओ 3166)
वैवाहिक स्थिति *:	<input type="checkbox"/> विवाहित	<input type="checkbox"/> अविवाहित	<input type="checkbox"/> सिंगल	<input type="checkbox"/> तलाकशुदा	<input type="checkbox"/> अलग रहने वाले	<input type="checkbox"/> डिफैक्टो	
निवास स्थिति *:	<input type="checkbox"/> निवासी व्यक्ति	<input type="checkbox"/> अनिवासी भारतीय	<input type="checkbox"/> विदेशी नागरिक	<input type="checkbox"/> भारतीय मूल के व्यक्ति			
नागरिकता *:	<input type="checkbox"/> भारतीय	<input type="checkbox"/> अन्य					
व्यवसाय प्रकार	<input type="checkbox"/> सेवा	<input type="checkbox"/> राज्य सरकार	<input type="checkbox"/> केन्द्र सरकार	<input type="checkbox"/> सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम	<input type="checkbox"/> रक्षा	<input type="checkbox"/> निजी क्षेत्र	
	<input type="checkbox"/> कारोबार	<input type="checkbox"/> उद्यमी	<input type="checkbox"/> व्यापार क्षेत्र	<input type="checkbox"/> सेवा क्षेत्र	<input type="checkbox"/> प्रवासी श्रमिक	<input type="checkbox"/> ठेकेदार	<input type="checkbox"/> जैलर्स/सराफा व्यापारी
	<input type="checkbox"/> अन्य	<input type="checkbox"/> चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े कर्मी	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> विधि क्षेत्र से जुड़े कर्मी/सीए/आईसीडब्लूए/कर निर्धारण/वित्तीय विभाग	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> गिरियां की दुकान
			<input type="checkbox"/> सेवानिवृत्त	<input type="checkbox"/> पत्रकार	<input type="checkbox"/> गृहणी	<input type="checkbox"/> छात्र	<input type="checkbox"/> अन्य पेशेवर व्यक्ति
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> शेयर एवं स्टॉक ब्रोकर	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> कृषि
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> राजनीतिक/सामाजिक कायकीर्ती

राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्ति :	<input type="checkbox"/> हाँ	<input type="checkbox"/> नहीं	राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्ति वह होता है, जिसे किसी विदेश में प्रमुख सार्वजनिक कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी गई हो। उदाहरण के लिए राज्यों अथवा सरकार के प्रमुख, वरिष्ठ सरकारी/न्यायिक/सेना अधिकारी, राज्य सरकार के स्वामित्व के नियमों के वरिष्ठ कार्यपालक, महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के अधिकारी आदि।
कर निवास देश का कोड *:	<input type="text"/>	(भारत का कोड 'आईएन' है )	
भारत के कर निवास का ही देश कोड एवं भारत के बाहर का किसी अन्य देश अथवा क्षेत्र का नहीं* :	<input type="checkbox"/> हाँ	<input type="checkbox"/> नहीं	(जबक नहीं होने पर कृपया पृष्ठ 9 के कॉलम 6 एवं 7 में विवरण भरें)

पैन/कर पहचान संख्या या अन्य \*: [ ] यदि कर के उद्देश्य से निवास स्थान भारत है तो पैन नंबर यहाँ भरें।

जन्म स्थान/शहर : [ ] जन्म के देश का कोड \*: [ ]  
(आईएसओ 3166)

### 3. पहचान और पते का प्रमाण

I (वर्तमान पता युक्त निम्नलिखित में से किसी एक आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए )

- |  |  |  |   |                                 |
|--|--|--|---|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ए-पासपोर्ट  | <input type="checkbox"/> बी-मतदाता पहचान पत्र      | <input type="checkbox"/> सी-ड्राइविंग लाइसेन्स       | <input type="checkbox"/> डी-नरेगा जॉब कार्ड | पहचान क्रमांक : [ ]             |
| <input type="checkbox"/> ई-राष्ट्रीय जनसंख्या गजिस्टर द्वारा जारी किया गया पत्र जिसमें ये शामिल हो | <input type="checkbox"/> एफ-आधार के होने का प्रमाण |  |   | जारी करने की तिथि : [ ]         |
| या   | II. <input type="checkbox"/> ई-केवाईसी प्रमाणीकरण  | III. <input type="checkbox"/> आधार का ऑफलाइन सत्यापन |   | वैधता समाप्त होने की तिथि : [ ] |

बिंदु क्रमांक 3 में आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों में अद्यतन पता न होने पर पते का प्रमाण

आधिकारिक रूप से वैध माने जाने वाले किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए

पते का प्रकार \*:  आवासीय पता  आवास  व्यवसाय  पंजीकृत कार्यालय  गैर-सूचित

पते का प्रमाण \*:  युटिलिटी बिल  नगरपालिका कर रसीद  पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ)  राज्य/केंद्र/सरकारी/सांविधिक अथवा विनियामक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र निकाय/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक /वित्तीय संस्था/सूचीबद्ध कंपनियों के नियोजकों द्वारा जारी आवास आवंटन पत्र

### 4.आवास विवरण:

स्थायी पता जो वर्तमान पता के समान हो

दस्तावेज क्रमांक /पहचान क्रमांक \* [ ]

जारी कर्ता\* [ ]

जारी करने की तारीख [ ]

जारी करने का स्थान \* [ ]

वैधता समाप्त होने की तिथि (यदि लागू हो तो)\* [ ]

लाइन 1 \* : [ ]

लाइन 2 : [ ]

लाइन 3 : [ ]

शहर/नगर/गाँव \*: [ ]

जिला \* : [ ]

पिन/डाक कोड \*: [ ]

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र [ ]

देश का कोड \*: [ ]

नाम का कोड \*:

(आईएसओ 3166)

5.संपर्क विवरण ( सभी पत्र, दिए गए मोबाइल नंबर-ई-मेल आईडी पर ही भेजे जाएंगे ) ( कृपया अंत में दिए गए अनुदेश 'च' को देखें )

टेलीफोन (कार्यालयीन) [ ] [ ]

टेलीफोन (आवासीय) : [ ] [ ]

फैक्स : [ ] [ ]

मोबाइल [ ] [ ]

ई-मेल आईडी [ ] [ ]

6. बहुविध कर रेसिडेंसी : संयुक्त राज्य अमेरिका तथा/अथवा भारत के बाहर के किसी देश अथवा क्षेत्र के बाहर के कर रेसिडेंस देश के विवरण ( भारत के अलावा ) :

कर रेसिडेंस देश #	कर पहचान क्रमांक अथवा ऐसा कोई, यदि क्षेत्राधिकार के तहत जारी किया गया हो	पहचान का प्रकार ( टिन अथवा अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें )

# यदि कर रेसिडेंस भारत में हो तो पैन को टिन माना जाए।

1. संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म लेने वाले व्यक्ति सहित संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक, जो अन्य देश का निवासी हो (जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता नहीं छोड़ी थी हो)

2. संयुक्त राज्य अमेरिका ग्रीन कार्ड धारक सहित संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति

3. कुछ ऐसे व्यक्ति जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक वर्ष 180 से अधिक दिन रहते हैं।

7.क्षेत्राधिकार/देश के बाहर का पता-जहाँ आवेदक कर प्रयोजन के लिए अनिवारी भारतीय है

पते का प्रकार \*:  आवासीय / व्यवसाय  आवासीय  व्यवसाय  पंजीकृत कार्यालय  गैर-सूचित

लाइन 1 \* : [ ]

लाइन 2 : [ ]

लाइन 3 : [ ]

जिला \* : [ ]

शहर/नगर/गाँव \*: [ ]

पिन/डाक कोड \*: [ ]

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के [ ]

देश का कोड : [ ]

नाम का कोड \*:

(आईएसओ 3166)

नाम : \_\_\_\_\_  
 (पहचान पत्र के प्रमाण के अनुरूप हो)

यदि पैन के लिए आवेदन किया गया है और अभी तक नहीं मिला है तो कृपया आवेदन करने की तारीख \_\_\_\_\_ और पावती क्रमांक \_\_\_\_\_ यदि पैन के लिए आवेदन नहीं किया गया है, तो उस वित्त वर्ष, जिसमें उपर्युक्त लेनदेन किया गया है, के लिए आय कर अधिनियम 1961 की धारा 64 के अनुसार (पति/पत्नी, अवयस्क बच्चे आदि की आय सहित) अनुमानित कुल आय भरें।

कृषि आय (₹) \_\_\_\_\_ कृषि के अलावा अन्य आय \_\_\_\_\_

### सत्यापन

मैं ..... एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी समझ एवं विश्वास के अनुसार सही है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरे पास स्थायी खाता क्रमांक (पैन) नहीं है और आय कर अधिनियम 1861 की धारा 64, उसके प्रावधानों के अनुसार उस वित्त वर्ष, जिसमें यह लेनदेन किया गया, के दौरान परिगणित मेरी/हमारी आय (पति/पत्नी, अवयस्क बच्चे आदि की आय सहित) अधिकतम राशि, जिस पर कर नहीं लगाया जाता, से कम है। आज दिनांक ..... 20 ..... को सत्यापित किया गया।

स्थान : ..... घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

### 9. आवेदनकर्ता की घोषणा

- मैं/हम एतदद्वारा घोषित करता/करती हूँ/करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरे/हमारी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही हैं और मैं/हम उसमें कोई बदलाव होने पर आपको उसकी सूचना तुरंत दूँगा/दूँगी/देंगे कोई भी सूचना गलत अथवा गलत प्रस्तुत किए जाने पर मुझे/हमें पता है कि मैं/हम इसके लिए जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी/रहेंगे।
- मेरे/हमारे केवाईसी विवरण केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री के साथ साझा किए जा सकते हैं।
- उपर्युक्त पंजीकृत मोबाइल नंबर/ई-मेल पते पर एसएसए/ई-मेल से केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री से सूचना प्राप्त करने के लिए मैं/हम सहमति देता/देती हूँ/देते हैं।
- मैं/हम प्रमाणित करता/करती हूँ/करते हैं कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की 7 अगस्त 2015 की अधिसूचना क्र. एस.ओ. 2155 (ई) द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285 वीए के अंतर्गत लागू नियमों तथा इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक के 28 अगस्त 2015 के परिपत्र क्रमांक डीबीआर.एएमएल.बीसी.क्र. 36/14.01.001/2015-16 के अनुसार मैंने/हमने परवर्ती संशोधन सहित अपनी स्थिति की घोषणा कर दी है।
- मैं/हम समझता/समझते हूँ/समझते हैं, स्वीकार करता/करती हूँ/करते हैं तथा प्राधिकृत करता/करती हूँ/करते हैं कि आवास की स्थिति तथा/या उसमें निर्धारित अन्य मानदंडों के आधार पर आयकर अधिनियम के प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार और इस मामले पर भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के आधार पर, बैंक को मेरे/हमारे खाते (खातों) से संबंधित विवरण निर्धारित प्रारूप में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), या अन्य सरकारी एजेंसी को अंतर-सरकारी करार (आईजीए) की बाध्यता के अनुपालन के तहत विवेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (फटका) तथा कॉमन रिपोर्टिंग स्टैडर्टस (सीआरएस) तथा/या किसी समान व्यवस्था के तहत रिपोर्ट किए जा सकते हैं।
- मैं/हम प्रमाणित तथा घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि खाता खोलने तथा अन्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए अथवा वेबसाइट/इलेक्ट्रॉनिक रूप से मेरे/हमारे द्वारा हस्ताक्षरित/प्रमाणित तथा खाता खोलने के लिए एवं अन्य सेवा प्राप्त करने के लिए मेरे/हमारे द्वारा किया गया दस्तावेजी प्रमाण, मेरी जानकारी के अनुसार सही और संपूर्ण है तथा मैंने/हमने ऐसी कोई महत्वपूर्ण सूचना नहीं छिपाई, जिससे कि मेरे/हमारे खाते को यू एस रिपोर्टेबल खाता या अन्य रिपोर्टेबल खाता या अन्य के रूप में निर्धारित करने वर्गीकरण करने में बाधा उत्पन्न हो सके। मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी/विवरण गलत या झूठा या भ्रामक या गलत प्रस्तुत किए जाने पर, मैं/हम उसके लिए जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।
- मैं/हम वचन देता हूँ/देती हूँ/देते हैं कि मेरे द्वारा यहाँ/अथवा अन्य स्थान पर दी गई जानकारी, प्रस्तुत दस्तावेजी प्रमाण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने अथवा कोई प्रमाणीकरण गलत होने अथवा बदल जाने पर, ऐसे परिवर्तन की तारीख से 30 दिनों के अंदर इसकी घोषणा एवं सूचना देने की जिम्मेदारी मेरी/हमारी होगी। जब कभी अपेक्षित होने पर दस्तावेजी प्रमाण के साथ नया एवं वैध स्व-प्रमाणन प्रस्तुत करने का भी मैं वचन देता/देती हूँ। जब तक उपर्युक्तानुसार बैंक को संशोधित स्व-प्रमाणीकरण प्रस्तुत किया नहीं जाता, तब तक मेरे द्वारा दी गई ऐसे सभी संशोधित दस्तावेज़/जानकारी के मामले में भी यहाँ दिया गया वचन लागू होगा।
- मैं/हम इस बात से भी सहमत हूँ/हैं कि अब या भविष्य में मुझे/हमें ज्ञात कोई महत्वपूर्ण तथ्य/सूचना प्रकट करने या निर्धारित समय के भीतर दस्तावेजों/सूचना/ अन्य विवरणों में किसी भी विसंगति का समाधान नहीं करने पर मैं खाते से लेनदेन कर नहीं पाऊँगा तथा मेरे खाते में परिचालन पर रोक लगाने या उसे बंद करने या किसी भी विनियामक या भारत सरकार (जीओआई)/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस कार्य के लिए तैनात प्राधिकरण को रिपोर्ट करने या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड/भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई शुरू करने का अधिकार बैंक को है।
- भारत या विदेश में खाता के परिचालन या रख-रखाव से संबंधित किसी भी नियम के बदलने के कारण मुझसे/हम से मांगी जानेवाली किसी भी प्रकार की जानकारी प्रस्तुत करने या सूचित करने के लिए मैं/हम सहमत हूँ/हैं।
- मैं/हम प्रमाणित करता/करती हूँ/करते हैं कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नियम/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मुझे/हमें संस्था की ओर से हस्ताक्षर करने की पात्रता है।
- मेरे/हमारे द्वारा दिए गए विवरण में चूक/गलती या गलत या अधूरी जानकारी देने के कारण बैंक को यदि कोई हानि/नुकसान होने पर, मैं/हम उसकी क्षतिपूर्ति करूँगा/करूँगी/करेंगे।

दिनांक \_\_\_\_\_

स्थान : \_\_\_\_\_

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

### सत्यापन / केवल कार्यालयीन उपयोग के लिए

प्राप्त दस्तावेज़ \_\_\_\_\_ प्रमाणित प्रतियाँ \_\_\_\_\_ ई-दस्तावेज़ के समकक्ष \_\_\_\_\_  
 पहचान के सत्यापन द्वारा व्यक्तिशः सत्यापन किया गया

जोखिम श्रेणी: \_\_\_\_\_ उच्च \_\_\_\_\_ मध्यम \_\_\_\_\_ कम

दिनांक: \_\_\_\_\_

कर्मचारी/पदधारी के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

कर्मचारी/पदधारी का नाम \_\_\_\_\_

नमूना हस्ताक्षर क्रमांक/इसी क्रमांक

कर्मचारी/पदधारी का पदनाम : \_\_\_\_\_ कर्मचारी/पदधारी की शाखा : \_\_\_\_\_

अनुदेश :  
 • जहाँ \* चिह्न हैं उसे भरना अनिवार्य है  
 • फार्म को स्पष्ट अक्षरों में भरें  
 आवेदन का प्रकार\*  नया  अद्यतन करना है

केवाइसी नंबर (वित्तीय संस्था द्वारा भरा जाए)

(अद्यतन करने के अनुरोध के समय संस्था की के बाईं सी संख्या देना अनिवार्य है)

पते का प्रमाण (पीओए)

पत्राचार/स्थानीय पता विवरण\*

वर्तमान/स्थायी पते का विवरण के समान

पते का प्रकार\*

आवासीय या व्यवसाय  आवासीय  व्यवसाय  पंजीकृत कार्यालय  गैर-सूचित

लाइन 1\*:

लाइन 2 :

लाइन 3 :  शहर/नगर का नाम:

जिला :  देश का नाम :

राज्य/युटी  पिन/पोस्ट कोड

का नाम

संपर्क विवरण (यदि मोबाइल/ईमेल से संपर्क करना है तो निम्नलिखित मोबाइल/ईमेल पर संपर्क करें)

टेलीफोन (कार्यालय):   टेलीफोन (आवास)

मोबाइल नं.:   फैक्स :

ईमेलआईडी :

आवेदक द्वारा घोषणा

। मैं/हम एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि ऊपर दिया गया विवरण मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सती है और यदि इसमें कोई परिवर्तन होता है तो मैं/हम तत्काल आपको सूचित करूँगा/करूँगी/करेंगे ।  
यदि कोई भी सूचना ग्रामक या गलत ढंग से प्रस्तुत पाई जाती है तो मुझे/हमें पता है कि मैं/हम इसके लिए जिम्मेदार हूँ/होंगे।

। मेरा/हमारा वैयाक्तिक केवाइसी विवरण केंद्रीय केवाइसी रजिस्ट्री के साथ शयर किया जा सकता है।

। मैं/हम इससे सहमत हूँ/है कि केंद्रीय केवाइसी रजिस्ट्री द्वारा ऊपर पंजीकृत नंबर/ईमेल पते पर मुझे/हमें एसएमएस/ई-मेल द्वारा सूचित किया जा सकता है ।

दिनांक :

हस्ताक्षर

स्थान : \_\_\_\_\_

संस्था के प्राधिकृत व्यक्ति का नाम

#### सत्यापन / केवल कार्यालयीन उपयोग के लिए

प्राप्त दस्तावेज़  प्रमाणित प्रतियाँ  ई-दस्तावेज़ के समकक्ष  जोखिम श्रेणी  उच्च  मध्यम  कम

पहचान के सत्यापन द्वारा व्यक्तिशः सत्यापन किया गया  किया गया  दिनांक

कर्मचारी/पदधारी हस्ताक्षर \_\_\_\_\_ कर्मचारी/पदधारी का नाम \_\_\_\_\_

नमूना हस्ताक्षर कर्मांक/इसी क्रमांक \_\_\_\_\_ कर्मचारी/पदधारी का पदनाम : \_\_\_\_\_ कर्मचारी/पदधारी का शाखा : \_\_\_\_\_

(कंपनी (स्टॉक एक्सचेंज पर अधिसूचित कंपनी या ऐसी कंपनी की अनुबंधी को छोड़कर), भागीदारी फर्म, अनिगमित एसोसिएशन या व्यक्ति निकाय तथा न्यास के लिए लागू)

1. ग्राहक का नाम : \_\_\_\_\_  
(कंपनी, भागीदारी फर्म, अनिगमित एसोसिएशन या व्यक्ति निकाय तथा न्यास)
2. पंजीकृत नंबर : \_\_\_\_\_  
(यदि उपलब्ध है तो)
3. पंजीकृत पता : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



उपर्युक्त ग्राहक द्वारा पुष्टि और घोषणा करने की तारीख

निम्नलिखित वास्तविक व्यक्ति (व्यक्तियों) (निम्नलिखित टेबल पर दिए गए) नियंत्रण करते हैं या अंशतः नियंत्रणकर्ता स्वामित्व हित है अर्थात् पूँजी/लाभ/संपत्ति या वोटिंग अधिकार द्वारा नियंत्रण, करार, व्यवस्था आदि में 25% (कंपनी)/15% से अधिक (भागीदारी फर्म, व्यक्तियों का अनिगमित संघ) / 15% या उससे अधिक (न्यास)

(लाभार्थी मालिक की परिभाषा के लिए पृष्ठ 17 देखें)

क्र. सं.	लाभार्थी मालिक/नियंत्रणकर्ता वास्तविक व्यक्ति (व्यक्तियों) का पूरा नाम	जन्म तिथि	राष्ट्रियता	पता	केवाईसी दस्तावेजों का प्रकार	नियंत्रक स्वामित्व हित %

हम प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त कथन सही है तथा हम वचन देते हैं कि जब भी उपर्युक्त टेबल में दी गई कंपनी, भागीदारी फर्म, अनिगमित एसोसिएशन या व्यक्तियों का निकाय तथा न्यास के नियंत्रणकर्ता व्यक्ति या नियंत्रणकर्ता स्वामित्व हित रखनेवाले व्यक्तियों में परिवर्तन होगा तो हम बिना किसी विलंब के बैंक ऑफ बड़ौदा को सूचित करेंगे।

कृते एवं की तरफ से (कंपनी, भागीदारी फर्म, अनिगमित एसोसिएशन या व्यक्ति निकाय तथा न्यास के नाम) :

प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर\* : \_\_\_\_\_

प्राधिकृत अधिकारी का पूरा नाम : \_\_\_\_\_

पदनाम/स्थिति : \_\_\_\_\_

दिनांक :

स्थान :

\*(घोषणा पत्र पर भागीदारी फर्म के मामले में सक्रिय/पदनामित भागीदारी द्वारा, न्यास के प्रकरण में ट्रस्टी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए)

#### केवल शाखा के उपयोग के लिए

हम प्रमाणित करते हैं कि उक्त फर्म के लाभार्थी मालिक का अभिनिश्चय उपर्युक्त कंपनी/फर्म/न्यास द्वारा की गई घोषणा के आधार पर किया गया है तथा उपर्युक्त विवरणों को जहां कहीं उपलब्ध है, पब्लिक डोमेन से सत्यापित किया गया है।

(शाखा प्रमुख/शाखा परिचालन प्रमुख का हस्ताक्षर)

नाम : \_\_\_\_\_

नमूना हस्ताक्षर नंबर/क.कू.सं. : \_\_\_\_\_

दिनांक : \_\_\_\_\_

चालू खाता खोलने/जारी रखने के लिए घोषणा सह वचन पत्र

( चालू खाता खोलने के प्रारूप हेतु अनुलग्न )

चालू खाता खोलने/ जारी रखने हेतु पात्रता																		
1.	क्या आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा सहित किसी अन्य बैंक में सीसी/ओडी (कैश क्रेडिट/ओवरड्रॉफ्ट) सुविधा (सुविधाएं) हैं?		<input type="checkbox"/> हाँ या <input type="checkbox"/> नहीं यदि हाँ, तो भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार चालू खाता खोलने/जारी रखने की अनुमति नहीं है। यदि नहीं, तो कृपया क्रम संख्या 2 पर जाएं।															
2.	क्या आपने बैंक ऑफ बड़ौदा सहित किसी अन्य बैंक से ऋण सुविधा (सुविधाएं) (सीसी/ओडी को छोड़कर) प्राप्त की हैं?		<input type="checkbox"/> हाँ या <input type="checkbox"/> नहीं यदि हाँ, तो कृपया क्रम संख्या 3 पर जाएं। यदि नहीं, तो आप चालू खाता खोल सकते हैं / जारी रख सकते हैं।															
3.	यदि प्रश्न संख्या 2 का उत्तर हाँ है, तो प्राप्त की गई ऋण सुविधा (सुविधाएं) (सीसी/ओडी को छोड़कर) राशि की श्रेणीयों को चयनित करें, उदाहरण के लिए .....  <table border="1"><thead><tr><th>बैंक</th><th>निधि आधारित जैसे टीएल/डीएल</th><th>गैर निधि आधारित जैसे एलसी/बीजी</th></tr></thead><tbody><tr><td>बैंक ऑफ बड़ौदा</td><td></td><td></td></tr><tr><td>बैंक 1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>बैंक 2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>कुल</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	बैंक	निधि आधारित जैसे टीएल/डीएल	गैर निधि आधारित जैसे एलसी/बीजी	बैंक ऑफ बड़ौदा			बैंक 1			बैंक 2			कुल			<input type="checkbox"/> क. बैंक ऑफ बड़ौदा सहित किसी अन्य बैंक में ऋण सुविधा (सुविधाओं) जो रुपए 5 करोड़ से कम हो	आप निम्न घोषणा के साथ चालू खाता खोल सकते हैं / जारी रख सकते हैं  <input type="checkbox"/> मैं/हम आपको वचन देता/ते हूँ, है कि जैसे ही और जब भी मेरे/हमारे द्वारा प्राप्त की गई ऋण सुविधा(सुविधाओं) की राशि, 5 करोड़ या उससे अधिक होती है तो मेरे/हमारे द्वारा आपको इसकी सूचना तुरंत दी जाएगी।  <input type="checkbox"/> मैं/हम यह समझता हूँ, ते है कि जैसे ही और जब भी मेरे/हमारे द्वारा प्राप्त की गई ऋण सुविधा (सुविधाओं) की राशि, 5 करोड़ या उससे अधिक होती है तो मेरा/हमारा चालू खाता, इस घोषणा सह वचन पत्र के अनुच्छेद 3 (बी) या 3 (सी) के प्रावधानों, जो भी लागू हो, के अंतर्गत शासित होगा।
बैंक	निधि आधारित जैसे टीएल/डीएल	गैर निधि आधारित जैसे एलसी/बीजी																
बैंक ऑफ बड़ौदा																		
बैंक 1																		
बैंक 2																		
कुल																		
	यदि आवश्यकता हो तो अतिरिक्त पंक्तियां जोड़ें	<input type="checkbox"/> ख. बैंक ऑफ बड़ौदा सहित किसी अन्य बैंक से रुपए 5 करोड़ या अधिक लेकिन 50 करोड़ से कम राशि की ली गई ऋण सुविधा (सुविधाएं)	क्या बैंक ऑफ बड़ौदा से इनमें से किसी ऋण सुविधा (सुविधाओं) का लाभ लिया गया है ? <input type="checkbox"/> हाँ या <input type="checkbox"/> नहीं यदि हाँ, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में चालू खाता खोला/जारी रखा जा सकता है। यदि नहीं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में केवल एक उगाही खाता खोला/जारी* रखा जा सकता है। आप बैंक ऑफ बड़ौदा में केवल एक उगाही खाता खोल/जारी* रख सकते हैं। इस प्रकार के संग्रह खाते में - इस संग्रह खाते में केवल जमा करने की अनुमति होगी तथा इन खातों में नामे की सुविधा (सुविधाएं) तय अंतरालों में केवल ऋण दाता बैंक के चालू खाते में धन प्राप्तियों के प्रेषण के उद्देश्य से सीमित रहेगी. \$\$\$ इसलिए, इन खातों में संख्या या राशि के आधार पर जमा करने की कोई शर्त नहीं रहेगी किन्तु नामे की सुविधा उक्त चालू खाता में धन प्राप्तियों के प्रेषण के उद्देश्य से सीमित रहेगी। जमा शेष का उपयोग, किसी गैर निधि आधारित ऋण सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए मार्जिन के रूप में नहीं किया जा सकेगा।															
		<input type="checkbox"/> ग. बैंक ऑफ बड़ौदा सहित किसी अन्य बैंक में रु. 50 करोड़ या उससे अधिक ऋण सुविधा (एं)	क्या इनमें से कोई ऋण सुविधा (एं) बैंक ऑफ बड़ौदा से प्राप्त की है. <input type="checkbox"/> हाँ या <input type="checkbox"/> नहीं यदि नहीं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में चालू खाता नहीं खोला/जारी रखा जा सकता है। यदि हाँ, तो क्या बैंक ऑफ बड़ौदा या तो आपका एस्क्रो मैनेजिंग बैंक है या ऋण सुविधा(ओं) के लिए एकल ऋणदाता है? <input type="checkbox"/> हाँ या <input type="checkbox"/> नहीं यदि प्रश्न (बी) का उत्तर हाँ है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में चालू खाता खोला/जारीरखा जा सकता है। यदि प्रश्न बी का उत्तर (नहीं) है, तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा में एक उगाही खाता खोल/जारी रख सकते हैं। इस उगाही खाते में केवल जमा करने की अनुमति होगी तथा नामे की सुविधा केवल तय अंतरालों में ऋण सुविधा (एं) दाता एस्क्रो मैनेजिंग बैंक के एस्क्रो खाते में धन प्राप्तियों के प्रेषण के उद्देश्य से सीमित रहेगी. इसलिए इस खाते में संख्या या राशि के आधार पर जमा करने की कोई शर्त नहीं रहेगी किन्तु नामे की सुविधा केवल उक्त एस्क्रो खाते में धन प्राप्तियों के प्रेषण के उद्देश्य से सीमित रहेगी। जमा शेष का उपयोग, किसी गैर निधि आधारित ऋण सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए मार्जिन के रूप में नहीं किया जा सकेगा।															

<p>4. यदि आपने सी.सी./ओ.डी की सुविधा प्राप्त की है और उसके बाद भी आपको भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चालू खाता खोलने की छूट दी गई है, तो कृपया छूट संबंधी मानदंड पर टिक करें:</p> <p>(भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2020-21/79 डीओआर.नं बीपी.बीसी.30/21.04.048/2020-21 दिनांक 14.12.2020 के पैरा 1 का संदर्भ ग्रहण करें)</p> <p>यदि आपको छूट प्राप्त है तो आप चालू खाता खोल/ संचालित रख * सकते हैं।</p> <p>यदि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार चालू खाता खोलने की छूट/ संचालित रखने* की अनुमति नहीं है।</p>	<p><input type="checkbox"/> I. मकान खरीदारों से संगृहीत किए गए 70% अग्रिम भुगतान को रखने के उद्देश्य से रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 4 (2) आई (डी) के तहत रियल एस्टेट परियोजनाओं हेतु खाते को अनिवार्य किया गया है।</p> <p><input type="checkbox"/> II. भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस) द्वारा मंजूर विशिष्ट गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रिगेटर्स/ प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ताओं के नोडल या एस्क्रो खाते। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक।</p> <p><input type="checkbox"/> III. डेबिट कार्ड/ एटीएम कार्ड/ क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं/ अधिग्रहणकर्ताओं से संबंधित देय राशियों के निपटान के लिए खाते।</p> <p><input type="checkbox"/> IV. फेमा, 1999 के अंतर्गत मंजूर खाते</p> <p><input type="checkbox"/> V. यदि आईपीओ/ एनएफओ/ एफपीओ/ शेयर बायबैक/ लाभांश के भुगतान/ वाणिज्यिक पत्र जारी करना/ डिबेंचर आबंटन/ ग्रेच्युटी आदि प्रयोजन के लिए खाते जो कि संबंधित संविधिक या विनियामकों द्वारा अनिवार्य है और केवल विशिष्ट/ सीमित लेनदेन के लिए है।</p> <p><input type="checkbox"/> VI. करों, चुंगी, सांविधिक देयताओं आदि के भुगतान के लिए प्राधिकृत बैंकों के साथ ऐसे बैंकों के उधारकर्ताओं के लिए खोले गए खाते, जो ऐसे करों, चुंगी सांविधिक देयताओं आदि संगृहीत करने के लिए प्राधिकृत नहीं हैं।</p> <p><input type="checkbox"/> VII. करेंसी सोसिंग के लिए व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों और उनके एजेन्टों के खाते।</p> <p><input type="checkbox"/> VIII. चालू खाते जो विभिन्न संविधिक और अन्य विनियामकों/ विनियामक विभागों के अनुदेशों के अंतर्गत निर्धारित किए जाते हैं (उपरोक्त i से viii के अंतर्गत शामिल नहीं हैं). ऐसे विनियमों का विवरण दें और विनियमन की प्रति (आईज) संलग्न करें।</p> <p><input type="checkbox"/> IX. किसी विशिष्ट परियोजना के नकदी प्रवाह की निगरानी/ प्राप्ति के लिए मीयादी ऋण/ लीज किराया डिस्काउंटिंग (एलआरडी) मीयादी ऋण जैसी परियोजना विशिष्ट सुविधाओं के लिए चालू खाता खोलने हेतु हमने उस विशिष्ट परियोजना के लिए कोई सीसी/ओडी सुविधा प्राप्त नहीं की है। विवरण दें और संबंधित प्रमाण संलग्न करें (एफएक्यू 11), मैंने/ हमने यह सुनिश्चित करने का वचन देते हैं कि इस खाते में नकदी प्रवाह केवल उस विशिष्ट परियोजना के उद्देश्य से आएगा।</p> <p><input type="checkbox"/> X. केवल एनबीएफसी/ एफआई/ सहकारी बैंकों/ गैर-बैंक संस्थाओं से ऋण सुविधा वाले उधारकर्ताओं के लिए चालू खाता खोलना। विवरण दें और संबंधित प्रमाण संलग्न करें (एफएक्यू 12)</p> <p><input type="checkbox"/> XI. नकदी प्रबंधन सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु कैश-इन-ट्रांजिट (सीआईटी) कंपनियों/कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसियों (सीआरए) के खाते।</p> <p><input type="checkbox"/> XII. अंतर बैंक खाते।</p>
---	--

(ऋण सुविधा स्वीकृत है/ऋण सुविधा/सीमाएं)

मैं/हम यह वचन देता / ते हूं/ हैं कि यदि मेरे/हमारे सीसी/ओडी अन्य ऋण सुविधा के संबंध में उपर्युक्त घोषणा सह वचनपत्र में कोई भी परिवर्तन होता है तो मेरे/हमारे द्वारा बैंक ऑफ बडौदा को इसकी सूचना तुरंत दी जाएगी. मैं/हम यह भी समझता/ते हूं/ हैं कि उपर्युक्त घोषणा सह वचनपत्र के माध्यम से मेरे/ हमारे द्वारा दिए गए उपर्युक्त तथ्यों/पक्षों में कोई भी परिवर्तन होने के संबंध में इसकी सूचना बैंक ऑफ बडौदा को देने की एकमात्र जिम्मेदारी मेरी/हमारी होगी. मैं/हम इस पर भी सहमत हूं/हैं कि उपर्युक्त घोषणा सह वचनपत्र में मेरे/हमारे द्वारा दिए गए उपर्युक्त तथ्यों/पक्षों में कोई भी परिवर्तन होने और/या लागू विधि/विनियमन के आधार पर नए घोषणा सह वचनपत्र की आवश्यकता पड़ने पर, मेरे/ हमारे द्वारा नया घोषणा सह वचनपत्र प्रस्तुत कर दिया जाएगा. मैं/हम इस पर भी सहमत हूं/ हैं कि बैंक ऑफ बडौदा के अनुरोध पर मेरे/ हमारे द्वारा चालू खाता बंद कर दिया जाएगा.

ग्राहक(कों)/प्राधिकृत प्रतिनिधि (यों) के हस्ताक्षर

\*कृपया जो लागू न हों उसे काट दें.

\$\$ प्राधिकृत हस्ताक्षरी (रियों) के हस्ताक्षरित पत्र के द्वारा ग्राहक को आवधिक (वैनिक/सामाजिक/ मासिक आदि) रूप से सूचित करना है.







क्रम संख्या	संस्था के प्रकार	के वाई सी दस्तावेज
7.	अनिमित्त संघ अथवा व्यक्तियों का निकाय	<p>1. इस प्रकार के संघ अथवा व्यक्तियों के निकाय के प्रबंधन निकाय द्वारा संकल्प</p> <p>2. उनकी तरफ से कार्य करने के लिए स्वीकृत मुख्यारनामा</p> <p>3. कंपनी का पैन अथवा कार्म 60</p> <p>4. (क) उनकी तरफ से पैनों और अथवा व्यक्ति को जारी स्थायी खाता संख्या अथवा फार्म 60, यदि स्थायी खाता संख्या प्रस्तुत नहीं की जाती है, तब आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज़ प्रस्तुत किया जाएगा ।</p> <p>5. ऐसी कोई सूचना जिसके माध्यम से बैंक वह सुनिश्चित कर सके कि विविध रूप से इस प्रकार के संघ अथवा व्यक्तियों के निकायों की मौजूदगी है ।</p> <p>6. सभी संबंधित व्यक्तियों या लाभार्थी स्वामी का पैन नं, प्रत्येक लाभाधिकारी स्वामी के संबंध में एक अनुलग्नक-2 की जानकारी अलग से ली जाए</p> <p>7. प्रधिकृत हस्तालिखित घोषणा पत्र जिसमें सभी लाभाधिकारियों के नाम, उनकी शेषरखराता/निवेशन अधिकारी/हिताधिकारी आदि उल्लेखित हों (संलग्न - IV )</p> <p>8. गजनीनिक दलों की रिस्ट्रिक्शन में उपर उल्लेखित दस्तावेजों के अलावा, यह 4 और दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे -</p> <p>क) निवाचन आयोग द्वारा पहुँच करते हुए प्रमाण पत्र कि "उक्त गजनीनिक दल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 29 (क) के अंतर्गत पंजीकृत है तथा उक्त दल को लोक सभा अथवा विधान सभा हेतु आयोजित विगत साधारण निवाचन, स्थिति जो भी हो, में कम से कम एक प्रतिशत मत प्राप्त हुए है ।</p> <p>ख) गजनीनिक दल के ज्ञापन अथवा नियम एवं विनियम</p> <p>ग) खाता लेनदेन हेतु प्रधिकृत व्यक्ति का फोटोग्राफ, अधीत जिसके पश्च में मुख्यारनामा स्वीकृत हो ।</p> <p>घ) गजनीनिक दल का पता प्रमाणित करने हेतु दस्तावेज़ जानादारों, प्रशासकों और परिसमापकों हेतु पहचान का प्रमाण</p>
8.	निधारक, प्रशासक और परिसमापक	<p>1. प्रोब्रेट अथवा प्रशासन पत्र अथवा कंपनी अधिनियम, दिनांक.....के अंतर्गत प्राधिकार पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए (निरीक्षण के लिए, विविध दस्तावेज़ रजिस्टर में प्रविष्ट एवं वापसी)। उसकी एक प्रति का प्रतिधारण किया जाना चाहिए ।</p> <p>i) यदि एकधिक निधारक/प्रशासक/परिसमापक नियुक्त हों, खाता संचालन को नियंत्रित करते हुए उन सभी के द्वारा हस्ताक्षरित प्राधिकार-पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए ।</p> <p>ii) निधारक, प्रशासक एवं परिसमापक समान्वयः आने अधिकारों का प्रत्यायोजन किसी तीसरे पक्ष को नहीं कर सकेंगे ।</p> <p>III) कर संबंधी घोषन के लिए आवास नारपालिका समेत किसी प्रधिकृत सरकारी निकाय द्वारा कंपनी के संबंध में जारी सरकारी दस्तावेज़, जिसमें कंपनी का नाम, देश में अथवा प्रदेश में (उनके दावे के अनुसार किसी भी प्रदेश में, जहां के बे निवासी हों, अथवा जहां कहीं भी कंपनी नियमित अथवा गठित हुई हो) उनके प्रधान कार्यालय का पता भी शामिल हो ।</p> <p>IV.) सरकारी ऐसेंसी अथवा नारपालिका समेत किसी प्रधिकृत सरकारी स्वामियों से अथवा हिताधिकारी स्वामियों से स्वतंत्र रूप से अनुलग्नक - II प्राप्त किया जाना चाहिए ।</p> <p>V. यदि कंपनी भारत के बाहर किसी देश अथवा प्रदेश के निवासी हो, संबंधित सरकारी निकाय / ऐसी द्वारा जारी टीआईएन पत्र ।</p>
9.	सरकारी प्राधिकारियों और न्यायिक व्यक्तियों	<p>क) संस्था की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत व्यक्ति के नाम को दर्शानेवाला दस्तावेज़</p> <p>ख) उसकी ओर से लेन-देन के लिए प्रान्तिक रखनेवाले व्यक्ति के दस्तावेज़, जो धारा 16 में निर्दिष्ट है</p> <p>ग) ऐसे एक संस्था/न्यायिक व्यक्ति के कानूनी अस्तित्व स्थापित करने के लिए आर ई द्वारा आवश्यक माने जानेवाले ऐसे दस्तावेज़</p>

## अधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज़ :

अधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेजों की सूची में सिर्फ निम्न पाँच हैं :

- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- आधार संख्या होने का प्रमाण : जहाँ ग्राहक आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज़ के रूप में आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, वह ऐसे स्वरूप में उसे प्रस्तुत करें जैसा कि भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया हो
- भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र
- एन आर ई जी ए द्वारा जारी जॉब कार्ड जो राज्य सरकार की किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो
- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम, पते का विवरण हो (आधार और पैन अनिवार्य हैं और आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेजों के भाग नहीं हैं)

## आधिकारिक तौर पर मान्य दस्तावेज़ :

पते के प्रमाण के सीमित उद्देश्य के लिए निम्न दस्तावेज आधिकारिक तौर पर मान्य दस्तावेज़ होंगे :

- कोई भी सेवा प्रदाता के उपभोक्ता बिल, जो दो महीने से ज्यादा पुराने न हो (बिजली, टेलीफोन, पोस्ट बेड मोबाइल फोन, पाइप गैस, पानी बिल)
- संपति या स्वीकृतिकृत प्राप्ति के रखीद (न्यौनतम)
- यदि उनमें पता है, तो पैसेन या परिवार पैसेन भुगतान आदेशों (पी पी ओ) जो सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी किया गया हो
- नियोक्ता से आवास आबंटन का पत्र जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार विभागों, वैधानिक या नियायिक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों, सूचीबद्ध कंपनियाँ और आधिकारिक आवास आबंटन करनेवाले ऐसे नियोक्ताओं के साथ अवकाश एवं लाइसेंस समझौते ।

## लाभार्थी मालिक कोन है

धन शोधन निवाचन संशोधित अधिनियम 2013 के नियम 9 (3) के अनुसार लाभार्थी स्वामी का निर्धारण निप्रानुसार किया गया हो

(क) जहाँ पर ग्राहक कोई कंपनी है, लाभार्थी स्वामी वह वास्तविक व्यक्ति है, जो अकेला या मिलकर, या एक या एक से अधिक विधिक व्यक्ति है, जो अकेला या मिलकर, या एक या एक से अधिक विधिक व्यक्तियों द्वारा जिसका नियंत्रण का अधिकार शामिल है तैनात निहित है या जो अन्य माध्यमों के जरिए नियंत्रण करता है।

स्पष्टीकरण-इस उपर्युक्त के लिए -

- "नियंत्रक स्वामित्व हित" का मतलब कंपनी के पच्चीस प्रतिशत से अधिक शेयर या पूँजी या लाभ के स्वामी या हकदार से है ।
- "नियंत्रण" में अधिकांश निदेशकों की नियुक्ति करने का या प्रबंधन पर नियंत्रण करने का या नीतिगत निर्णयों के नियंत्रण का अधिकार शामिल है जो उनके शेयरधारियों या प्रबंधन अधिकार या शेयरधारक करार या वोटिंग करार के बल पर प्राप्त है ।

..... यहाँ से काट दें... (कृपया सुनिश्चित करें कि काटते समय उपर्युक्त मरीन द्वारा पढ़े जाने वाले कोड को क्षति न पहुँचे) .....

## पावरी

## दिनांक :

- नाम : \_\_\_\_\_
- जामा किए गए दस्तावेज़ \_\_\_\_\_
- (1) \_\_\_\_\_
- (2) \_\_\_\_\_ (3) \_\_\_\_\_
- (4) \_\_\_\_\_ (5) \_\_\_\_\_

शाखा प्रबंधक



